न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला- दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अशोक सैनी बनाम सुरेश मु.नं.- 47/25 किस्म - दावा	
01.5.26 पगावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पगावली लम्बे समय से तलबी में लंबित है। वादी को बार-2 निर्देशों के बावजूद भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तामीलें पेश नहीं की और निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि वादी पगावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पगावली वादी की अदम हाजरी पर अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पगावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो।	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)